यह निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 21-06-2018 से 02-07-2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री सतेन्द्र कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14-12-2015 से 17-12-2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2009 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे माध्यमिक शिक्षा पर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन ₹	व्यय ₹	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	-------शून्य------				
2016-17					
2017-18					
Total					

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त ₹				व्यय ₹	बचत
		OB	INTT	GoI	State	State addit	Total		
2015-16	RMSA/IEDSS/ICT/Girls Hostel/Vocational education	9646.67	338.92	4603.89	632.04	6198.59	21420.11	16744.89	4675.22
2016-17	--Do--	4675.23	213.40	10867.64	1208.55	4230.08	21194.89	14199.10	6995.79
2017-18	--Do--	6995.79	234.78	12671.38	708.74	5486.50	26097.19	15722.41	10374.78
योग:		**21317.68**	**787.10**	**28142.91**	**2549.33**	**15915.17**	**68712.19**	**46666.40**	**22045.79**

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	**-------शून्य------**	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहे है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा पर संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है, नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **जनवरी 2016 एवं जून 2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निदेशालय स्तर पर योजनाओ का संचालन नहीं किया जाता है योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि जिला स्तर पर प्रेषित कर दी जाती हैं।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो अ

प्रस्तर 1: रु 935.11 लाख के तीन से सात वर्षो से अवरुद्ध रहने एवं योजना संबंधी घटको का क्रियान्वयन न किया जाना।

राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के घटक "इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नालजी" (ICT) केंद्र पुरोनिधानित योजनान्तरगत 500 विद्यालयो हेतु रु 666.67 लाख[1] निर्गत किए गए थे (मार्च 2011)। योजना अंतर्गत कम्प्युटर / उपकरणो का क्रय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना था।

सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के एक अन्य घटक व्यवसायिक शिक्षा योजना हेतु अनावर्ती मदों हेतु रु 169.33 लाख (नवम्बर 2014) तथा रु 99.11 लाख (दिसम्बर 2014) निर्गत[2] किए गए थे।

इकाई की लेखा परीक्षा (जून 2018) मे लेखा विवरण की जांच मे देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम अवशेष के रूप मे आइ सी टी योजना अंतर्गत रु 666.67 लाख[3] तथा वी ई (Vocational Education) योजना अंतर्गत रु 268.44 लाख[4] था, इस मद मे संदर्भित वर्षो के दौरान अन्य कोई आवंटन तथा व्यय नहीं किया गया था, इस प्रकार उक्त योजनाओ के सापेक्ष आवंटित धनराशि रु 935.11 लाख[5] मे से विगत सात वर्षो से रु 666.67 लाख तथा तीन वर्षो से रु 268.44 लाख अवरुद्ध थे। इस प्रकार, धनराशि के अवरुद्ध रहने तथा रमसा योजना के संदर्भित घटको पर कार्य न किए जाने से योजना के इन घटकों का क्रियान्वयन प्रभावित रहा।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर (जून 2018) इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आई सी टी कार्य हेतु चार बार ई. टेंडर किया गया परंतु किसी भी बिडर के द्वारा प्रतिभाग न किए जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, व्यवसयिक शिक्षा अंतर्गत तीन बार ई. टेंडर किया गया परंतु किसी भी ट्रेड के लिए पर्याप्त संख्या मे बिडर उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। दोनों मदों मे कुल

---

[1] पत्र संख्या 561/XXIV-3/11/02(168)05 दिनांक 29 मार्च 2011 द्वारा निर्गत केन्द्रन्श रु 500.00 लाख एवं राजयांश रु 166.67 लाख कुल राशि रु 666.67 लाख

[2] पत्र संख्या 996/ XXIV-3/14/02 (128)13 दिनांक 05 नवम्बर 2014 तथा पत्र संख्या 1701/ XXIV-3/14/02 (128)13 दिनांक 12 दिसम्बर 2014

[3] केन्द्रीय हिस्सा रु 500.00 लाख तथा राज्य हिस्सा रु 166.67 लाख

[4] केन्द्रीय हिस्सा रु 215.91 लाख तथा राज्य हिस्सा रु 52.53 लाख

[5] रु 666.67 लाख तथा रु 268.44 लाख कुल रु 935.11 लाख

निर्गत राशि रु 935.11 लाख बैंक खाता मे जमा है, जमा राशि पर इकाई द्वारा ब्याज का रखरखाव अलग से नहीं किया जाता है बल्कि आवर्ती मद मे ही इसकी अंकना की गयी है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

इस प्रकार रु 935.11 लाख के तीन से सात वर्षो से अवरुद्ध रहने एवं योजना संबंधी अपेक्षित कार्य न किए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 1: रु 68,712.22 लाख का आवंटन तथा उसके सापेक्ष रु 46,666.40 लाख के व्यय के संबंध मे रोकड़ बही का रख रखाव एवं प्रविष्टियों का प्रमाणीकारण न किया जाना।

कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखंड देहरादून की लेखापरीक्षा (जून 2018) मे पाया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, के वित्तीय प्रबंधन तथा क्रय मेनुअल के प्रस्तर: 5.27 के अनुसार:

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु एक अलग से रोकड़ बही रखी जाएगी।
- रोकड़ बही मोद्रिक लेन-देनो का मुख्य अभिलेख है, रोकड़ बही मे दो कालम मे प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- रोकड़ बही मे प्रत्येक प्राप्ति एवं भुगतान का उल्लेख संक्षेप मे किया जाना चाहिए।
- रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि SPO/DPO/SMDC या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित (attested) होना चाहिए।
- रोकड़ बही की दैनिक बंदी की जानी चाहिए तथा अंतिम शेष SPO/DPO/SMDC या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित (attested) होना चाहिए।
- माह के अंत मे कैश चेस्ट की धनराशि की गिनती SPO/DPO/SMDC या सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा ततसंबंधी प्रमाण रोकड़ बही मे अंकित किया जाना चाहिए।

विस्तृत जांच हेतु चयनित माह जनवरी- 2016 एवं जून- 2016 की रोकड़ बही की जांच मे पाया कि मेनुअल मे उल्लिखित उक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन नही किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य रु 68,712.22 लाख का आवंटन तथा व्यय रु 46,666.40 लाख था, जिसके लेन देन संबंधी विवरण को रोकड़ बही मे दर्ज कर उनका दैनिक, मासिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार मैनुअल के संदर्भित प्रस्तर का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही भारत सरकार को वार्षिक लेखा विवरण प्रेषित किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि निर्देशों का पालन किया जा रहा हैं। विभागीय उत्तर स्वीकर नहीं है क्योंकि मेनुअल मे उल्लिखित किसी भी निर्देश का अनुपालन नही किया जा रहा था। अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -2- जी०पी०एफ खाते से अस्थायी अग्रिम की वसूली में ढ़ाई वर्ष से व्यवधान के फलस्वरूप ₹ 61000/- की वसूली लंबित रहना।

कार्यालय में कार्यरत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की जी०पी०एफ पासबुक की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि, श्री विनय कुमार भट्ट (लेखाकार) द्वारा समय-समय पर अपनी जी०पी०एफ खाते से अस्थाई अग्रिम लिया जाता रहा है, जिसके सापेक्ष अस्थाई अग्रिम की वसूली निश्चित मासिक किस्तों में होती रही है। कर्मचारी द्वारा प्राप्त अस्थाई अग्रिम व मासिक किस्तों कि वसूली संबंधी विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:-

क्रम सं	दिनांक	स्वीकृत अस्थायी अग्रिम	कुल	मासिक किस्तों की संख्या	कुल अग्रिम वापसी (किस्त)	शेष वापस की जाने वाली अग्रिम की धनराशि
1	07/04/03	10,000/-	10,000/-	500/- प्रति माह (20 किस्त)	8000/- (16 किस्त)	2000/-
2	14/08/06	15,000/-	17,000/-	850/- प्रति माह (20 किस्त)	11,050/- (13 किस्त)	5950/-
3	03/10/07	24,050/-	30,000/-	1000/- प्रति माह (30 किस्त)	20,000/- (20 किस्त)	10,000/-
4	22/05/09	28,000/-	38,000/-	1500/- प्रति माह (25 किस्त)	21,000/- (14 किस्त)	17,000/-
5	07/2010	49,000/-	66,000/-	2000/- प्रति माह (33 किस्त)	40,000/- (20 किस्त)	26,000/-
6	19/03/12	46,000/-	72,000/-	2000/- प्रति माह (36 किस्त)	52,000/- (26 किस्त)	20,000/-
7	19/06/14	88,000/-	1,08,000/-	3000/- प्रति माह (36 किस्त)	*	

* माह जुलाई 2014 में ₹ 2000/- तथा अगस्त से अक्टूबर 2014 तक ₹ 3000/- प्रति माह वसूला गया था तथा ₹ 97,000/- की धनराशि की वसूली किया जाना था, इसके बावजूद भी नवम्बर 2014 से मई 2017 (31 माह) तक किस्तों के रूप मे शेष अग्रिम की वसूली नहीं की गयी थी, उसके उपरांत जून 2017 से मई 2018 तक ₹ 3000/- प्रति माह की दर से ₹ 36,000/- वापस कर दी गयी थी, व ₹ 61,000/-[6] वापस किया जाना शेष रह गया था।

उपरोक्त तथ्यों को लेखापरीक्षित इकाई को इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि श्री विनय कुमार भट्ट (लेखाकार) दिनांक 24/05/2017 से इस कार्यालय में कार्यरत्त हैं तथा नवम्बर 2014 से मई 2017 के अस्थाई अग्रिम की कटौती पूर्ववर्ती कार्यालय द्वारा नहीं की गयी है। यद्यपि, अस्थाई अग्रिम वसूली का संबंध पूर्ववर्ती कार्यालय से जुड़ा हुआ हो, परंतु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जी०पी०एफ रख-रखाव संबंधी नियम उत्तराखंड सरकार के अधीन समस्त विभागों में एक समान लागू होते हैं एवं इकाई कि टिप्पणी से भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री विनय

[6] नवम्बर 2014 को अवशेष राशि ₹ 97,000/- (-) ₹ 36,000/- = ₹ 61,000/-

कुमार भट्ट (लेखाकार) के जी०पी०एफ खाते के रख-रखाव के दौरान नियमानुसार अग्रिम की वसूली 31 माह तक अवरुद्ध थी।

अतः ₹ 61,000/- की वसूली नवम्बर 2014 से मई 2017 (31 माह) लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 156/2015-16	**भाग-II 'ब' प्रस्तर सं-02** इकाई द्वारा संदर्भित प्रस्तर के संबंध में दिनांक 01/04/15 से 29/04/15 की तिथि के दौरान बिलों के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 26/03/14 के मेल की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार 24/04/14 की तिथि PAB हेतु निर्धारित की गयी थी ओर उसी के अनुक्रम में यात्रा की गयी थी, अतः उक्त मेल के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्तानुसार				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

-शून्य-

2. सतत् अनियमितताएः

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1।	श्री डी। सैन्थिल पाण्डेयन I।A।S। (एस।पी।डी। आर।एम।एस।ए।)		12-01-2015 से 19-01-2016
2।	श्रीमति रंजना I।A।S। (एस।पी।डी। आर।एम।एस।ए।)		20-01-2016 से 07-12-2016
3।	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी I।A।S। (एस।पी।डी। आर।एम।एस।ए।)		09-12-2016 से 27-04-2017
4।	कैप्टन आलोक शेखर तिवारी I।A।S। (एस।पी।डी। आर।एम।एस।ए।)		28-04-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड**, **देहरादून**, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, "महालेखाकर भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र